

Form No. III
फर्द—अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़

चमनलाल

बनाम

जगन्नाथ वगैराह

किस्मा मुकदमा

राजस्व वाद

नं० 169

सन्

2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
03.09.2019	<p>वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली सिगहे से तलब की गई। पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वकील वादी रमेश पालीवाल हाजिर। हाजिर वकील वादी ने आदेशिका पर NOT PRESS अंकित कर निवेदन किया कि प्रकरण में वादीगण कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं अतः कार्यवाही समाप्त की जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी द्वारा की गई बहस बाबत विद्वो को एक तरफा सुना गया। मनन किया। वादी स्वयं अपना वाद नहीं चलाना चाहते हैं ऐसी स्थिति में वकील वादी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद विद्रोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">- ह० - (विनोद कुमार) सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी), चित्तौड़गढ़</p>	

